



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042020-219091
CG-DL-E-21042020-219091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2020/वैशाख 1, 1942

No. 198]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2020/VAISAKHA 1, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सा.का.नि. 257(अ).—भारत सरकार के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना, सं. सा.का.नि. 447(अ) दिनांक 09-05-2017 द्वारा जारी भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) के प्रारंभिक अनुच्छेद में दर्शाए गए शब्दों “में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है” के स्थान पर “के नियमों में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं” पढ़ा जाये।

[फा. सं. टैक/08/क.(ई)/2016-स.आ.(प्र.पी.)]

सत्यजीत सिंह, आयुक्त

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एंव सेवा कर समझौता आयोग, प्रधान पीठ

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th March, 2020

G.S.R. 257(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number G.S.R. 447(E), dated the 9th May, 2017, published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, in the opening paragraph for the words “further rules” read “rules further”.

[F. No. Tech/08/Commr (Inv)/2016-SC(PB)]

SATYAJIT SINGH, Commissioner

Settlement Commission, Customs, Central Excise and Service Tax, Principal Bench